

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)  
अपील संख्या:- 12/131/2020

अपीलार्थी:-

श्री भागीरथ पुत्र श्री शुभराम यादव निवासी  
ग्राम-पोस्ट कारोडा तह0 बहरोड, जिला  
अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला  
कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 11-01-2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11-11-20 के माध्यम आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.01.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1778 दिनांक 24.12.20 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 11.11.20 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पूर्व पत्रांक 1768 दिनांक 24.12..20 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, प्रथम अपील की अनुपालना में प्रार्थी को पुनः पत्रांक 1778 दिनांक 24.12.20 से उक्त पत्रांको की सूचना जरिये तहसीलदार बहरोड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



—:: 11-01-2021  
(नन्मूल पहाडिया)  
जिला कलक्टर, अलवर